

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1103

दिनांक 13/05/2022

प्रार्थी :-

1. तगाराम पुत्र वालाराम
जाति सुथार, निवासी अम्बेडकर नगर
तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

1.सिणगारी पत्नि जगमालराम 2.सदराम पुत्र
फगलूराम 3.मोहनलाल पुत्र मेघाराम
जातियान विश्नोई, निवासी अम्बेडकर नगर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 45/2019

दिनांक : 06.05.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र चौहटन के मौजा अम्बेडकर नगर के खेत खसरा सं. 1306/661 रकबा 12.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे |

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1104 to 1107

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी तगाराम
3. विप्रार्थीगण सिणगारी वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन अधिकारी

दिनांक 13/05/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन